एक नजर में

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर

इंदौर. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिला इंदौर के अंतर्गत हुकुमचंद जोन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक शिवाजी नगर (सदर बाजार) में इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 203 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। कैंप के दौरान मरीजों को एचआईवी, सिफलिस, टीबी व हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की सुविधा जनसामान्य को प्रदान की गई। कैंप में जिला क्षय अधिकारी डॉ. शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे.

बुनकर कर रहे हेण्डलूम की विरासत का प्रदर्शन

इंदौर. सर्दियों के आगमन के साथ एक बार फिर विंटर वैडिंग सीजन की शुरुआत हो गयी है. वैवाहिक मुहूर्तों के अवसर पर वैवाहिक सिल्क साड़ियों की श्रृंखला लेकर सिल्क इंडिया एग्जीबिशन शहर में है. बास्केटबाल काम्पलेक्स में यह एग्जीबिशन गुरुवार से शुरु हो गई है. 11 दिन के लिए आयोजित यह साड़ी सेल 30 नवंबर तक जारी रहेगी. देश के प्रसिद्ध बुनकर अपनी सदियों से सहेजी गई हेण्डलूम की विरासत को नये डिजाईनों के साथ यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं. सिल्क की यही खुबसूरत साड़ियाँ विवाह समारोहों, पारिवारिक आयोजनों की शोभा बढ़ाती हैं. साड़ियों की लगभग 50 हजार वैरायटी यहां प्रदर्शित की जा रहीं हैं. सिल्क इंडिया सेल में देश के विविध स्थानों की लोकप्रिय वैरायटी की मनमोहक साड़ियाँ एवं ड्रेस मटेरियल पेश किए गए हैंय उड़ीसा आर्ट एण्ड क्रॉफ्ट की ओर से आयोजित इस सेल में देश के विविध प्रांतों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय वैरायटी का चुनिंदा वैवाहिक संग्रह प्रदर्शित किया गया है. पुष्पेन्द्र रावत ने बताया कि यहाँ प्रस्तुत हर साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल अपने आप में अद्वितीय और मनमोहक है. देश के श्रेष्ठ बुनकर सिल्क इंडिया में सिल्क एवं कॉटन साड़ियां, सूट्स, ब्लॉक प्रिंट, जार्जेट साड़ियां, डिजायनर साड़ियां, बनारसी सिल्क साड़ियो के व्यापक संग्रह के साथ उपस्थित हैं। आयोजन स्थल पर निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है.

फूड फेस्टिवल में मिलेगा राजस्थान का पारंपरिक स्वाद

इंदौर. शहर राजस्थान की संस्कृति, स्वाद और परंपरा से हमेशा से गहरा संबंध रखता आया है. लेकिन राजस्थान का वास्तविक स्वाद केवल मसालों तक सीमित नहीं है, वह राजसी, गहरा और परंपराओं में रचा-बसा होता है. इसी अनूठे अनुभव को

इंदौरवासियों तक पहुँचाने के लिए फेयरफील्ड बाय मैरियट, इंदौर द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान प्रस्तुत कर रहा है, एक ऐसा उत्सव जो मेहमानों को राजस्थान के प्रामाणिक, शाही स्वाद की दुनिया में ले जाएगा. यह विशेष फूड फेस्टिवल 20 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक आयोजित किया जाएगा. शेफ आशुतोष ने बताया कि हमारा प्रयास है कि मेहमानों को ऐसा माहौल और स्वाद मिले, मानो वे वास्तव में राजस्थान की राजसी मिट्टी में कदम रख रहे हों. उत्सव में राजस्थानी विरासत को पूरी मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. मेहमान यहाँ दाल बाटी चूरमा, पारंपरिक मसालेदार सब्जियाँ, देसी घी से बने स्नैक्स, राजसी मुख्य व्यंजन और पारंपरिक मिठाइयों जैसे कई प्रतिष्ठित व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे. फेयरफील्ड बाय मैरियट इंदौर के होटल मैनेजर सुदीप सिन्हा ने कहा हम इंदौरवासियों के लिए इस विशेष उत्सव को प्रस्तुत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान सिर्फ एक फूड फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है, जहाँ हर व्यंजन राजस्थान की समृद्ध विरासत, परंपरा और शाही रसोई का प्रतीक है.

विद्युत संबंधी हादसे रोकने नई दिल्ली में ली ट्रेनिंग

इंदौर. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के निर्देश एवं मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में विद्यु हादसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है. इसी क्रम में कंपनी के 15 सर्कल क्षेत्र के 55 कार्मिकों ने नई दिल्ली में टाटा पावर नई दिल्ली में एडवांस ट्रेनिंग कराई गई. नई दिल्ली में विद्युत संबंधी हादसे रोकने के प्रयास, तौर तरीके, गाइड लाइन पालन, सुरक्षा उपकरणों के शत प्रतिशत उपयोग, सतर्कता इत्यादि से संबंधित ट्रेनिंग लेने वालों में मानव संसाधन प्रबंधक, इंजीनियर, लाइन स्टॉफ, तकनीकी कर्मचारी आदि शामिल थे. इन सभी कार्मिकों ने प्रबंध निदेशक कार्यालय में उपस्थित होकर नई दिल्ली में सीखी गई बातों का प्रस्तुतिकरण दिया. ये कार्मिक अब अपने जिले, सर्कल में साथी कर्मचारियों, अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे एवं हादसों में कमी लाएंगे. प्रबंध निदेशक कार्यालय इंदौर में प्रस्तुतिकरण अवसर पर प्रबंध निदेशक श्री सिंह, मुख्य महाप्रबंधक श्री चौहान, मुख्य अभियंता संजय जैन, संयुक्त सचिव तरूण उपाध्याय, सपना दामेशा, श्रीमती रीना चौधरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे.

सुरक्षित मातृत्व की मिसाल बना सरकारी अस्पताल

12 साल बाद गूंजी एक घर में किलकारी

सरकारी सेवाओं पर लौटा भरोसा

स्वास्थ्य तंत्र की सतत देखरेख बनी संतान सुख का आधार

इंदौर. लंबे इंतजार के बाद संतान सुख पाने की उम्मीद खो चुकी एक महिला को शहर की मातृत्व सेवाओं ने नया जीवन दिया. सरकारी अस्पतालों में हुई नियमित जांच, पोषण पर ध्यान और विशेषज्ञ टीम की सतत निगरानी ने जोखिम भरे प्रसव को भी सुरक्षित बना दिया.

सागर की रहने वाली एक 33 वर्षीय महिला की शादी को 13 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन बार-बार इलाज कराने के बाद भी संतान की खुशी उसके जीवन में नहीं आई. इसी दौरान काम के सिलसिले में वह पति के साथ इंदौर आई, जहां

उसकी मुलाकात आशा कार्यकर्ता से हुई. नियमित बातचीत में स्वास्थ्य जांच की सलाह दी गई और मल्हारगंज स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है. गर्भावस्था की पुष्टि के बाद पंजीयन से लेकर छह निर्धारित जांचों तक आशा कार्यकर्ता लगातार साथ रही. आयरन-फोलिक एसिड, कैल्शियम, टीकाकरण और पौष्टिक आहार का पूरा ध्यान रखा.

आशा कार्यकर्ता की सलाह पर निजी की बजाय सरकारी अस्पताल चुना

महिला ने वर्षों के इंतजार और जोखिम को देखते हुए निजी अस्पताल में प्रसव कराने की इच्छा जताई, लेकिन आशा कार्यकर्ता ने समझाया कि सरकारी संस्थानों में भी अनुभवी डॉक्टरों की टीम सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रही है. अंतिम तिमाही में उसकी जांचें महाराणा प्रताप शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाणगंगा में कराई गईं. 19 नवंबर की सुबह प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसे वहीं भर्ती किया, पूर्व इतिहास को देखते हुए ऑपरेशन की तैयारी भी रखी गई, लेकिन प्रसूति विशेषज्ञों ने स्थिति का आकलन कर सामान्य प्रसव की संभावना जताई.

महिला ने एक स्वस्थ बेटे को दिया जन्म

विशेषज्ञ टीम की सटीक निगरानी और समय पर लिए गए निर्णयों ने जोखिम भरे प्रसव को सुरक्षित बना दिया. वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गोद भरी, अस्पताल में किलकारी गूंज उठी, महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. सरकारी मातृत्व सेवाओं, डॉक्टरों के कौशल और सतत देखरेख ने इस परिवार को वह खुशी दी, जिसका इंतजार एक दशक से अधिक समय से था. यह घटना सुरक्षित मातृत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करती है.

असामाजिक तत्वों पर नजर ड्रोन से बढ़ाई गई सुरक्षा

जोन-2 में पुलिस का सख्त अभियान

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के जोन-2 में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने निगरानी अभियान तेज कर दिया है. क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जबकि ड्रोन पेट्रोलिंग, होटल चेकिंग और मोहल्ला बैठकों के माध्यम से पुलिसजन सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है.

जोन-2 पुलिस ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष अभियान तेज कर दिया है. निर्देशों के तहत गश्ती दलों की तैनाती बढ़ाई गई है और संभावित आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त टीमें सक्रिय की गई हैं. अभियान के दौरान नशा करने वालों, शराब के नशे में वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है. अभियान के परिणामस्वरूप 37 गुंडा चेक, 18 चाकूबाज चेक, 27 निगरानी बदमाश चेक और 41 संदिग्धों की थाने पर तस्दीक की गई. कई हॉटस्पॉट और शैडो क्षेत्रों में विशेष चेकिंग भी की गई. सड़क सुरक्षा के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 30 चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया. बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी और अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी 26 वाहनों को चालानी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले तीन लोगों पर भी प्रकरण बनाए. सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के लिए क्षेत्र में ड्रोन पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. इससे बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों की रियल-टाइम निगरानी संभव हुई है.

सहायक थानेदार की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जांच शुरू की

इंदौर. एमजी रोड थाने में पदस्थ एक सहायक थानेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वे परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के पीछे स्थित इलाके में रहते थे. देर रात उनकी मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात की बारीकी से जांच की.

थाना प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है. अधिकारी आसपास के लोगों, परिजनों और सहकर्मियों से जानकारी जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत के पीछे कोई दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या या अन्य कोई

कारण तो नहीं है. प्रारंभिक स्थितियों को देखते हुए पुलिस इसे संदिग्ध मानकर सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद घटनाक्रम और स्पष्ट होगा.

देशभर में सक्रिय विदेशी ड्रग नेटवर्क का इंदौर कनेक्शन उजागर

- **दिल्ली-मुंबई से अफ्रीकी गैंग द्वारा इंदौर पहुंच रही ड्रग की हवाई खेप**
- **पिछले एक वर्ष में इंदौर में ड्रग तस्करी को लेकर किसी विदेशी की यह तीसरी गिरफ्तारी है**

नव भारत न्यूज

इंदौर. नारकोटिक्स विंग ने शहर में विदेशी ड्रग नेटवर्क की जड़ें फिर उखाड़ते हुए गुरुवार को एक अफ्रीकी महिला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह मुंबई से इंदौर पहुंची थी और यहां किसी खरीदार को कोकीन देने वाली थी. कार्रवाई के बाद एजेंसी को यह अंदेशा और पुख्ता हो गया है कि दिल्ली और मुंबई में मौजूद अफ्रीकी गैंग द्वारा देशभर में ड्रग्स की सप्लाई चेन संचालित की जा रही है और इंदौर भी उनका सक्रिय ठिकाना बन चुका है.

पिछले एक वर्ष में किसी विदेशी की यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे विदेशी नेटवर्क को बेनकाब किया गया है. शहर की क्राइम ब्रांच ने पहले नाइजीरियन एंथोनिउफ मामा को पकड़ा था, जिसके कब्जे से एमडी ड्रग जब्त हुई थी. वह दिल्ली में रहकर इंदौर के पैडलरों को खेप भेजता था. इसके बाद जैकब नानबुईके को मंदसौर से गिरफ्तार किया गया था, जो इंदौर के सप्लायरों तक एमडी पहुंचाने आया था. जांच में पता चला था कि उसकी पत्नी भी तस्करी में शामिल है. टीम जब दिल्ली उसके घर पहुंची, तब तक वह देश छोड़कर भाग चुकी थी.

वीजा अवधि बीतने के बाद भी यहीं रुक जाते हैं कई विदेशी

अब कल गुरुवार को नारकोटिक्स विंग ने रेसिडेंसी क्षेत्र से लिंडा अनाबा नामक अफ्रीकी महिला को पकड़ा है. उसके पास से उच्च गुणवत्ता की कोकीन मिली है. मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है. शुरुआती पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि वह इंदौर में एक तय संपर्क को सप्लाई देने आई थी. अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई में बड़ी संख्या में अफ्रीकी नागरिक बिजनेस या स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी कई लोग अवैध रूप से देश में ही रुक जाते हैं. इसी समूह का एक हिस्सा ड्रग तस्करी और साइबर अपराध में सक्रिय हो जाता है.

ड्रग तस्करी मामले में किसी विदेशी महिला की पहली गिरफ्तारी

इंदौर पुलिस साइबर फ्रॉड में पहले दो विदेशी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ड्रग्स और ऑनलाइन अपराधों में किसी महिला सदस्य की यह पहली गिरफ्तारी है. एजेंसियों के अनुसार ये विदेशी नेटवर्क देश में ड्रग्स की मुख्य सप्लाई लाइन बन चुके हैं और स्थानीय पैडलर इनके संपर्क बिंदु के रूप में काम करते हैं. ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि इंदौर इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है, जो पुलिस एवं खुफिया तंत्र के लिए चिंता का विषय है.

नेशनल शूटर से बस में छेड़छाड़ का मामला : बस जब्त, तीन आरोपी हिरासत में

इंदौर. भोपाल-इंदौर-पुणे रूट की यात्री बस में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. वर्मा ट्रैवल्स की बस को जब्त कर लिया गया है, जबकि दो ड्राइवर और क्लीनर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.

घटना तीन दिन पहले उस समय हुई थी, जब पुणे निवासी नेशनल शूटर इंदौर में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद वर्मा ट्रैवल्स की बस में इंदौर से पुणे जाने के लिए चढ़ रही थी. महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि बस में चढ़ते समय क्लीनर ने उसे बेड टच किया. जांच के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने वर्मा ट्रैवल्स की उस बस को जब्त कर थाने में खड़ा करा लिया. वहीं, छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोप में ड्राइवर परमेंद्र गौतम पिता किशन लाल गौतम (52 वर्ष), सेकेंड ड्राइवर अरविंद वर्मा पिता मिश्रीलाल वर्मा (35 वर्ष) और क्लीनर दीपक मालवीय पिता बटनलाल

(27 वर्ष) को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है.

महिला खिलाड़ी ने पुलिस को दिया है आवेदन

डीसीपी कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि फिलहाल पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है. मामले में सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है. मंगलवार को बस ऑपरेटर को तलब कर वाहन जब्त किए जाने की जानकारी दी गई थी. निर्देश के बाद बस को थाने पर पहुंचा दिया गया है. अभी तक की जांच के अनुसार, घटना के दौरान बस में मौजूद क्लीनर दीपक मालवीय ने महिला खिलाड़ी के साथ अनुचित स्पर्श किया था. इस पर दोनों के बीच बहस हुई और विवाद बढ़ा. इसी दौरान दोनों ड्राइवर आ गए और उन्होंने भी खिलाड़ी से विवाद किया. इस पर खिलाड़ी ने आरोपियों की पिटाई की. हंगामा बढ़ने पर तीनों आरोपी मौके से भाग निकले. इसके बाद टीआई नीरज बिरथरे ने दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को सुबह रवाना कराया था. घटना के बाद खिलाड़ी ने पुलिस को एक लिखित आवेदन सौंपा था, जिसमें एफआईआर बाद में दर्ज कराने का उल्लेख किया है. पुलिस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है.

छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचाव का सबक

नव भारत न्यूज

इंदौर. बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए शहर में छात्रों को डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर सोशल मीडिया जोखिमों तक के वास्तविक उदाहरणों के साथ सतर्क रहने के तरीके बताए गए.

साइबर अपराधों पर नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाने के अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने शहर के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में 300 विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा के अहम पहलुओं से अवगत कराया. साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर होने वाले अपराधों से बचने के लिए व्यावहारिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट मार्गदर्शन दिया. सत्र के दौरान छात्रों को बताया गया कि तकनीक के इस दौर में छोटी-सी चूक भी अपराधियों को मौका दे सकती है. इसलिए मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई, गेमिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करने और निजी जानकारी किसी से साझा न करने की समझाइश दी गई. साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन, वेबसाइट या इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सहायता प्राप्त की जा सकती है. कार्यक्रम में छात्रों को इंदौर पुलिस के आधुनिक एआई आधारित सुरक्षा चैटबोट सेल्फ क्लिक और एआई शॉल्यूशन से भी परिचित कराया.

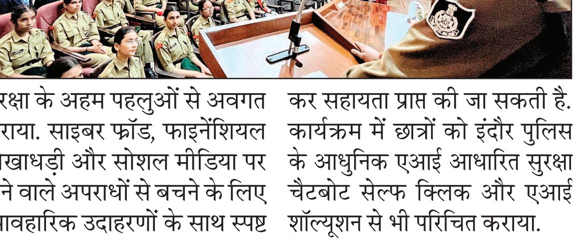

एक नजर में | दीक्षा महोत्सव : शांतिधारा अभिषेक पूजन संपन्न

आज 48 मिनट तक संसारी जीवन से दूर रहेंगे सैकड़ों समाजबंधु

इंदौर. रेसकोर्स रोड स्थित श्वेताम्बर जैन उपाश्रय पर चल रहे हैदराबाद के आर्किटेक्ट कौशिक कुमार खांटेड के दीक्षा महोत्सव में गुरुवार को सुबह आचार्य विजय पद्मभूषणरत्न सूरीश्वर, आचार्य देव विजय जिनसुंदर सूरीश्वर, आचार्य विजय धर्मबोधि सूरीश्वर की पावन निश्रा में रेसकोर्स रोड स्थित मनमोहन पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर शांतिधारा अभिषेक पूजन का आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसमें 50 से अधिक साधु-साध्वी-भगवंतों एवं सैकड़ों श्रावक-श्राविकाओं ने सौल्लास अपनी भागीदारी दर्ज कराई. इस अवसर पर पार्श्वनाथ सोसाइटी के ट्रस्टी हिम्मतलाल संघवी, धनराज संघवी ने मुमुक्षु का बहुमान किया.

युग प्रधान परिवार के विनोद जैन, रितेश जारोली, सोमिल कोठारी एवं मनीष शाह तथा रेसकोर्स रोड की ओर से डॉ. प्रकाश बांगानी, यशवंत जैन, कीर्ति भाई डोसी, विकास गांधी सहित अनेक समाजबंधु उपस्थित थे. शुक्रवार को सुबह 7.30 बजे से नवकार परिवार द्वारा समूह सामायिक का विशाल आयोजन होगा जिसमें शामिल होने वाले 400 समाजबंधु 48 मिनिट दिन तक संसारी जीवन से दूर रहकर, बिना मोबाइल, टीवी के पूरी एकाग्रता के साथ मुमुक्षु कौशिक कुमार के वैराग्य जीवन की धन्यता की प्रार्थना करेंगे. दोपहर 2.30 बजे से शहर की सभी श्वेताम्बर जैन महिलाओं की सांझी तथा शाम 7 बजे मुमुक्षु की रजवाड़ी शोभायात्रा निकाली जाएगी. 22 नवंबर को रेसकोर्स रोड उपाश्रय से मुमुक्षु कौशिक कुमार का वर्षीदान वरघोडा सुबह 8.30 बजे प्रारंभ होकर बैंड-बाजों सहित बास्केटबाल स्टेडियम पहुंचेगा। सभी जैनाचार्य एवं साधु-साध्वी-भगवंत भी वरघोडे में शामिल रहेंगे। इस दौरान मुमुक्षु एक बग्घी में सवार होकर अपने संसारी जीवन के काम आने वाली वस्तुओं को लुटाते हुए चलेंगे।

रविवार को दीक्षा विधि

दीक्षा विधि रविवार को सुबह 7 बजे महामंगलकारी दीक्षा की शास्त्रोक्त विधि जैनाचार्यों एवं साधु-साध्वी-भगवंतों की पावन निश्रा में प्रारंभ होगी, जो लगभग 4 से 5 घंटे में सम्पन्न होगी। शहर के सभी प्रमुख जैन श्रीसंघों के पदाधिकारी भी इस प्रसंग के साक्षी बनेंगे। देशभर के समाजबंधुओं के आगमन का सिलसिला मंगलवार से ही जारी है।

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है. मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है :-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता नं. : LAP4IND000151418** **1. श्रीमान/श्रीमती। अहसान खान** **2. श्रीमान/श्रीमती। शकीला बी वाजिद अली** **पता-** 19 गोपालपुरा नगर बड़वाहा, जिला खरगौन बड़वाहा पश्चिम निमाड़, मेन रोड, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश - 451115. **यहां भी-** प्लॉट का एमसी नंबर 16, वार्ड डी नंबर 16, गुरुनानक मार्ग के अंदर, गोपालपुरा मार्ग, बड़वाह, जामा मस्जिद के पास पूर्वी निमाड़ बड़वाह खरगोन, म.प्र. - 451115.	रु. 17,69,000/-	28.10.2025 रु. 20,04,676/- (रुपये बीस लाख चार हज़ार छह सौ छिहत्तर मात्र) 28.10.2025 तक	वार्ड क्रमांक 16 नगर बड़वाहा, तहसील बड़वाहा, जिला खरगौन मध्य प्रदेश, NA, NA 473, NA, 1234, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश लैंडमार्क-निकट जामा मस्जिद, निकटतम चोला शाखा-इंदौर शाखा, निकटतम चोला शाखा से दूरी -65, सीमाएँ- योजना/विलेख/लेआउट के अनुसार दिशाएँ- पूर्व- गली, पश्चिम- हामिद अली का घर, दक्षिण- अहमद हुसैन मास्टर का घर, उत्तर- सड़क (गोपालपुरा रोड) वास्तविक के अनुसार स्थल- पूर्व- गली, पश्चिम- हामिद अली का घर, दक्षिण- अहमद हुसैन का घर, दक्षिण- सड़क.

उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान प्राप्ति की तिथि तक करें. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्ज़ा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है. सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13 (13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है. उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान : इन्दौर, मध्यप्रदेश
दिनांक :- 28-10-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

NORTHERN ARC

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 10वीं मंजिल, चरण-I, आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क, कनागम गांव, तारामणि, चेन्नई - 600113, तमिलनाडु

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

यहाँ तक कि आप, नीचे दी गई तालिका के पैरा संख्या 1 में उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता ने अपनी अचल संपत्ति गिरवी रखकर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है. आप सभी द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और चूंकि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित ऋणदाता है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस जारी किया है जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है. नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड को आपके द्वारा देय राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में विशेष रूप से दिया गया है. कृपया ध्यान दें कि भुगतान की तिथि तक उक्त राशि पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क भी लागू होंगे.

1) आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर और बंधककर्ता का नाम- (क) श्री महेश पाटीदार (उधारकर्ता) पता- बिडवाल रोड, ग्राम कोडधार, मध्य प्रदेश-454665. **इसके अलावा श्री महेश पाटीदार (मेसर्स अनपूर्णा ट्रेडिंग के प्रोप.) का पता-** बिडवाल रोड ग्राम कोड धार, मध्य प्रदेश-454665. **(बी) श्रीमती राजूबाई (सह-उधारकर्ता) पता-** 365 ग्राम कोड टेम्सिल, बदनावर, बिडवाल रोड कोड मध्य, प्रदेश, पिन कोड 454665.
2) ऋण विवरण (वितरण/एनपीए और सूचना तिथि/बकाया राशि)- (क) ऋण खाता संख्या 15045128004, रुपये 18,60,268/- (रुपये अठारह लाख साठ हजार दो सौ अड़सठ मात्र) की राशि के लिए (ख) 02 नवंबर 2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, (ग) 18 नवंबर 2025 की मांग सूचना. 18 नवंबर 2025 तक बकाया राशि रुपये 20,27,985.31/- (रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार नौ सौ पिच्यासी और पैसा इकतीस मात्र) है, साथ ही उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी शामिल हैं.
3) अचल संपत्तियों का विवरण- ग्राम कोड में मकान, पटवारी मकान संख्या 67 ग्राम आबादी सर्वे क्रमांक 746, मकान क्रमांक 365, वार्ड क्रमांक 06, ग्राम कोड, तहसील बदनावर, जिला धार (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट, **जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व-** शंकरलाल जी की भूमि, **पश्चिम-** कॉमन वे, **उत्तर-** सत्यनारायण का मकान, **दक्षिण-** शंकरलाल पलोत्रा का मकान.

आपको उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल राशि का भुगतान, संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य लागतों, प्रभारों और आकस्मिक व्ययों सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है. ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्ति के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के अंतर्गत उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होंगे. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आपको उक्त सुरक्षित संपत्ति को बिक्री/पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है.

दिनांक : 21 नवंबर 2025
स्थान : धार (एम.पी.)

हस्ताक्षरित/-
प्राधिकृत अधिकारी
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड